न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2019 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 26.07.2019

रतनी देवी पुत्री प्यारा गाडरी पत्नि मोहन निवासी रोजड़ा हाल मुकाम पुठोली, मुंगा का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

बनाम

1–भैरूलाल पिता प्यारा गाडरी निवासी रोजड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2–रतनलाल पिता प्यारा गाडरी निवासी रोजड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3–सोहनी पुत्री प्यारा गाडरी निवासी रोजड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4–प्यारी बेवा प्यारा गाडरी निवासी रोजड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5–तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरण संखय 462 तारीख फैसल 30.12.2010 प्रशासन गाँव के संग अभियान–2010

उपस्थितिः– 1– श्री भैरूलाल गुर्जर अधिवक्ता, अपीलांट
2– श्री दिनेश कुमार दायमा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मृत्तक प्यारा पिता सवाईराम गाडरी की विरासत का नामान्तरण करने का आदेश दिया जो कि कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पटवार हल्का द्वारा जो सजरा बनाया उसमें अपीलान्ट रतनी देवी के बजाए, मोहनी नाम की लड़की का अंकन किया गया जबकि मोहनी नाम का कोई वारिस नही है। अतः पारित इन्तकाल संख्या 462 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 462 दिनांक 30.12.2010 निरस्त कर मोहनी के बजाए अपीलान्ट का नाम रेकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्र. सं. 07/2019 (रा. अ.)
रतनी देवी पुत्री प्यारा गाडरी निवासी रोजडा हाल मु. पुठेली, मुंगा का खेड़ा बनाम भैरूलाल पिता प्यारा गाडरी निवासी रोजड़ा वगैरा

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार दायमा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मृत्तक प्यारा पिता सवाईराम गाडरी की विरासत का नामान्तरण खोलने का आदेश पारित किया जो कि त्रुटिपूर्ण है पटवार हल्का द्वारा प्यारा पिता सवाईराम के विरासत के नामान्तरण बाबत जो सजरा बनाया वह गलत होकर सजरे में मोहनी नाम की लड़की का अंकन किया है जबकि मोहनी नाम का कोई वारिस नहीं है, मोहनी के बजाए अपीलान्ट रतनी देवी का नाम दर्ज होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है बल्कि गलत नाम दर्ज कर दिया है। विरासती इन्तकाल से प्राप्त सम्पत्ति का विनिमय एवं अन्तरण अथवा बैंक ऋण सुविधा भी गलत नाम के कारण अपीलान्ट प्राप्त नहीं कर सकती है जिससे उसे हटाया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इन्तकाल पारित होने की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.05.2019 को पटवारी साहब के पास किसान कार्ड के लिए नकल लेने गई तब उन्होने बताया कि तुम्हारा नाम जमाबन्दी में नहीं है तब मैंने इन्तकाल देखा उसमें मेरा नाम दर्ज नहीं होकर मोहनी का नाम दर्ज था जो कि मोहनी नाम की मेरे पिता प्यारा के कोई संतान नहीं है। इस पर नकल हेतु आवेदन किया तब दिनांक 17.06.2019 को नकल जारी हुई उसी दिन कानूनी राय लेकर यह अपील बिना किसी देरी के पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 462 दिनांक 30.12.2010 निरस्त कर मोहनी के बजाए अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का मुख्य कथन यह रहा कि पटवारी हल्का द्वारा जो सजरा बनाया गया है वह गलत बनाया है उसमें मोहनी नाम की लड़की का अंकन किया गया है जबकि प्यारा पिता सवाईराम के मोहनी नाम की कोई लड़की नहीं है मोहनी की जगह रतनी देवी का नाम दर्ज होना चाहिए था। अतः मोहनी का नाम हटाकर उसके बजाए अपीलान्ट रतनी देवी का नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 07/2019 (रा. अ.)
रतनी देवी पुत्री प्यारा गाडरी निवासी रोजडा हाल मु. पुठेली, मुंगा का खेड़ा बनाम भैरूलाल पिता प्यारा गाडरी निवासी रोजड़ा वगैरा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रेस्पोडेन्ट्स/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब के आधार पर मृत्तक प्यारा पिता सवाईराम गाडरी के मोहनी नाम की कोई संतान नहीं होकर मोहनी के बजाए, अपीलान्ट रतनी देवी मृत्तक प्यारा की पुत्री होने की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2010 में पारित नामान्तरण संख्या 462 दिनांक 30.12.2010 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मोहनी के बजाए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।"

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2019.12.24 12:45:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: